त्रिलोकी नाथ बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य

ए.आई.आर. 1967 एस. सी. 1283

तथ्य

संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत दो अध्यापकों ने याचिका फाइल की जिसमें प्रतिवादी संख्या 3 से 83 तक की पदोन्नति के आदेशों को उपयुक्त रिट जारी करके रद्द करने तथा पहले और दूसरे प्रतिवादी को, क्रमशः जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार तथा शिक्षा निदेशक, जम्मू और कश्मीर राज्य, श्रीनगर को अध्यापकों के राजपत्रित संवर्ग में पूर्व व्याप्ति सहित पदोन्नत करने का निर्देश देने का अनुरोध किया।

याचिकादाता सं. 1 और 2 दोनों राज्य के सरकारी विद्यालयों में अध्यापक थे और दोनों नें क्रमशः 1943 और 1952 में सरकारी सेवा में प्रवेश किया। समय-समय पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वरिष्ठता सूची तैयार की जाती रही और उस वरिष्ठता सूची के अनुसार तथा निचले ग्रेड से अध्यापकों को पदोन्नत करके उच्चतर संवर्ग के पद भरे जाते रहे। 1981 में तैयार की गई अंतिम वरिष्ठता सूची में याचिकादाता सं. 1 और 2 को क्रम संख्या 104 और 140 पर रखा गया। यह अभिकथन था कि पदोन्नति करने में प्रतिवादी संख्या 1 और 2 ने निम्नलिखित आधार अपनायाः-

(1) 50 प्रतिशत पद मुसलमानों को दिए गये;

(2) शेष पदों में से 60प्रतिशत पद जामवी हिन्दुओं से भरे गए;और

(3) 50प्रतिशत पदों में से शेष 40प्रतिशत पद पंडितों को दिये गये, और कभी-कभी एक या दो पद पारी से हटकर सिखों को दिए गये।

हालांकि वह आधार राज्य सरकार के किसी आदेश का परिणाम न था, यह केवल राज्य सरकार द्वारा समय- समय पर पदोन्नत किये गये कर्मचारियों की संख्या का विश्लेषण करके निकाला गया।

याचिकादाताओं ने यह तर्क दिया कि पदोन्नतियो, योग्यता और वरिष्ठता के आधार पर नहीं बल्कि केवल धर्म,जाति और जन्म स्थान के आधार पर की गई। इसके परिणामस्वरूप दोनों याचिकादाताओं का, जो वरिष्ठता सूची में वरिष्ठ थे, प्रतिवादी संख्या 3 से 83 तक ने अधिक्रमण कर दिया, क्योंकि वे कश्मीरी पंडित थे और प्रतिवादी (संख्या 3 से 83 तक) या तो मुसलमान थे या जम्मू के हिन्दू।

राज्य सरकार ने जवाबी हलफनामें में पदोन्नति के तरीके से इंकार नहीं किया बल्कि आरक्षण का इस आधार पर समर्थन किया कि संपूर्ण राज्य के मुसलमान और जम्मू प्रान्त के हिन्दू ''पिछड़े वर्गो'' में आते हैं।

विवाद्यक इशू

1. क्या अनुच्छेद 16(4) के प्रयोजनों के लिये संपूर्ण राज्य के मुसलमान और जम्मू प्रान्त के हिन्दू पिछड़े माने जा सकते हैं?

2. क्या आरक्षण की प्रतिशतता उचित है?

निर्णय

न्यायमूर्ति सुब्बाराव ने न्यायालय का निर्णय सुनाया। न्यायालय की इस बैंच में न्यायमूर्ति जे.सी.शाह.एस.एम. सीकरी, रामस्वामी, सी.ए. वैधलिंगम और वे स्वंय थे।

न्यायालय ने एच.आर. बालाजी बनाम मैसूर राज्य ए.आई.आर. 1963 एस. सी. 649 और आर. चित्रलेखा बनाम मैसूर राज्य ए.आई.आर. 1964, एस.सी. 1823 में दिये गये अपने पूर्ववर्ती निर्णयों का हवाला दिया जिनमें कोई वर्ग पिछड़ा है या नहीं इस संबंध में जांच के लिये कुछ बातें बताई गई थी। यह कहा गया था कि बालाजी के मामले में अनुच्छेद 15(4) की व्याख्या की गई थी किन्तु उसमें निश्चित किये गये सिद्धांत वर्तमान मामले पर भी समान रूप से लागू होंगे। उसमें निर्धारित सिद्धांत को इन्होंने दोहराया अर्थात पिछड़ापन सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से ही होता है और सामाजिक पिछड़ापन बहुत हद तक गरीबी का हीं परिणाम है।

न्यायालय ने तब चित्रलेखा के मामले का उल्लेख किया और कहा कि इस मामले में मैसूर सरकार द्वारा अपनाया गया सिद्धांत मान लिया गया था, अर्थात पिछड़े वर्गों का वर्गीकरण निम्नलिखित शर्तो पर किया जाना चाहिए: (1) आर्थिक स्थिति और(2) व्यवसाय। हालाकि जाति भी उपयुक्त कारण हो सकता है। किन्तु यही एकमात्र या प्रमुख कारण नहीं माना जा सकता।

वर्तमान मामले में सरकार का तर्क यह था''कि अनुच्छेद 16(4) के अधीन पिछड़ापन की मुख्य पहचान सेवाओं में उनका अपर्याप्त प्रतिनिधित्व माना गया है। यदि इस तर्क को स्वीकार कर लिया जाए तो वास्तव में पिछड़े वर्ग उस उपबंध के लाभ से वंचित रह जाएंगे और इसका लाभ नागरिकों के उस वर्ग को हीं मिलेगा जो संपन्न और सुसंस्कृत हैं, किन्तु जिन्होंने ये अन्य व्यवसाय

अपना लिये है।''

इस प्रकार अनुच्छेद 16(4) की ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिये न्यायालय ने दो शर्तें निर्धारित की, अर्थात (i) ''नागरिकों का वह वर्ग पिछड़ा है अर्थात बालाजी के मामले में जैसा स्पष्ट किया गया है, कि वे सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं और (ii) राज्य की सेवाओं में उक्त वर्ग का उचित प्रतिनिधित्व नहीं है।''

किन्तु प्रस्तुत की गई सामग्री के आधार पर न्यायालय कोई निर्णय नहीं कर सका और इसने जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय से रिपोर्ट मांगी जिसमें अधिक सामग्री हो अर्थात संपूर्ण राज्य की कुल जनसंख्या दोनों प्रान्तों के अलग-अलग आंकड़े, भिन्न-भिन्न समुदायों आदि का सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ापन।

अधिकथित प्रतिपादना

राज्य सरकार की सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व हीं पिछड़ेपन की कसौटी नहीं माना जा सकता। जाति एक उचित कारण है किन्तु प्रमुख कारण नहीं। आर्थिक स्थिति और व्यवसाय महत्वपूर्ण कारण है। यद्यपि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करती है कि किस वर्ग के नागरिक पिछड़े हैं किन्तु यह न्याय प्रश्न है और न्यायालय इस बात की जांच कर सकता है कि राज्य सरकार ने हीं शक्ति का दुरुपयोग तो नहीं किया।